भारत के प्रधानमंत्री
(The Prime Minister of India)

1. पण्डित जवाहर लाल नेहरू-

(15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक)

- प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लम्बा कार्यकाल- (16 वर्ष 286 दिन)
- नई मुद्रिक प्रणाली की शुरुआत - 1961
- राज्य पुर्नगठन की स्थापना की आयोग - 1953 (23 दिसम्बर 1953)
- पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत - 1959 (राजस्थान के नागौर में)
- गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में हिस्सा- 1961
- पहला राष्ट्रीय आपात काल - 26 अक्टूबर 1962 (चीन से युद्ध के कारण)
- पंचशील समझौता- 1954
- इनकी मृत्यु के बाद पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था।

2. लाल बहादुर शास्त्री

(1964 से 11 जनवरी 1966 तक)

- इनकी मृत्यु ताशकंद को जाते हुए हवाई जहाज में दिल का दौरा पड़ने से 11 जनवरी 1966 को हुई। इनके बाद दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को ही बनाया गया।
- पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। नारा- जय जवान-जय किसान।
- हरित क्रान्ति को लाया गया - 1966 (परन्तु इनके समय में लागू नहीं किया गया था)
- FCI – 1965

3. इंदिरा गांधी (1966 से 1977 तक)

- इंदिरा गाँधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं।
- हरित क्रान्ति लागू हुई - 1966
- ISRO का गठन - 1969
- दादा साहेब फाल्के पुरस्कार - 1969
- 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण - 1969

भारत का पहला परमाणु परीक्षण

- पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई, 1974 बुद्ध पूर्णिमा की सुबह 8 बजकर 5 मिनट पर राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण में परमाणु विस्फोट के साथ किया गया था।
- परमाणु बम का व्यास 1.25 मीटर और वजन 1400 किलोग्राम था।
- सेना इसको बालू में छिपाकर लाई थीं।
- जानकारी के मुताबिक विस्फोट से 8 से 10 किलोमीटर के इलाके में धरती हिल गई थी।
- पीएम इंदिरा गांधी को परीक्षण सफलतापूर्वक किये जाने की सूचना मिलने पर वह फोन से परीक्षण टीम से बोली थीं- "The Budda has finally smiled."
- तभी से इस परमाणु परीक्षण को **''स्मालिंग बुद्धा''** के नाम से भी जाना जाता है।
- उस समय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) के निदेशक **वैज्ञानिक राजा रमन्ना** की टीम में डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम जी भी एक सदस्य तौर पर कार्यरत थे।

भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण

- बंगलूरू के पीन्या में तैयार किए गए 360 किलोग्राम वजन के उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ई० में सोवियत यूनियन की सहायता से ''कॉस्मॉस-3 एच प्रक्षेपण वाहन'' द्वारा कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था।
- इस उपग्रह का नाम पांचवी सदी के महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखा था।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 1976 में दो रुपये के नोट के पिछले हिस्से पर इसको छापा था।
- तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल- 25 जून 1975
- भारत-पाक युद्ध - 1971

- ❑ पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने।
- ❑ यह त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे।
- ❑ यह सबसे अधिक उम्र (82 वर्ष) में बनने वाले प्रधानमंत्री थे।
- ❑ यह सबसे ज्यादा बार (10 बार) भारतीय संसद में बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री भी रहे थे।

5. **चौधरी चरण सिंह** (1979 से 1980 तक)
   - ❑ प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कभी भी संसद का मुंह न देखने वाले प्रधानमंत्री थे।
   - ❑ यह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार का प्रयोग कर नियुक्त किये गये पहले प्रधानमंत्री थे।
6. **इंदिरा गांधी**- (1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक)
   - ❑ इन्हीं के सुरक्षागार्डो के द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई।
   - ❑ इनकी मृत्यु के बाद दोबारा गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया।
7. **राजीव गांधी**- (1984 से 1989 तक)
   - ❑ राजीव गाँधी सबसे कम उम्र में (26 वर्ष) प्रधानमंत्री चुने गये थे।
   - ❑ 61वां CAA 1989 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 से घटाकर 18वर्ष कर दिया गया
   - ❑ इन्होंने 1985 में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में शार्क सम्मेलन में हिस्सा लिया था।
8. **विश्वनाथ प्रताप सिंह** (2 दिसम्बर 1989 से 10 नबम्बर 1990 तक)
   - ❑ अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। (OBC आरक्षण लागू)
9. **चन्द्रशेखर** (10 नवम्बर 1990 से 21 जून 1991 तक)
10. **पी0 वी0 नरसिम्हाराव** (1991 से 1996 तक)
    - ❑ जब यह प्रधानमंत्री बने तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे बाद में राज्यसभा सदस्य बने।
11. **अटल बिहारी बाजपेयी** (16 मई 1996 से 01 जून 1996 तक)
    - ❑ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 20 मई को बुद्ध-स्थल पहुंचे। वही प्रधानमंत्री ने देश को एक नया नारा दिया 'जय जवान जय- किसान-जय विज्ञान'।
    - ❑ यह इनका अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिवस का था।
12. **एचडी देवगौडा**- (1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक) PM बने, उस समय MLA थे।
13. **इन्द्र कुमार गुजराल** (21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक)
14. **अटल बिहारी बाजपेयी** (19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक)
    - ❑ स्वर्णीम चतुर्भुज योजना 1998 ई० में लागू कि गयी थीं, जिसके द्वारा चारों महानगरों की सीमाओं को सड़कों की मदद से एक-दूसरे के साथ जोड़ा गया था।
    - ❑ इनका यह दूसरा कार्यकाल मात्र 13 माह तक ही चल पाया था।
15. **अटल बिहारी बाजपेयी** (13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक)
16. **डॉ० मनमोहन सिंह** (2004 से 25 मई 2014 तक)
17. **नरेन्द्र दमोदर दास मोदी**- (26 मई 2014 से लगातार)
    - ❑ 17वी लोकसभा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 30 मई 2019 से कार्यरत हैं।
    - ❑ वह प्रथम प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था- नरेन्द्र मोदी (17 Sep 1950)
    - ❑ 08 नवम्बर 2016 (रात 8:00 बजे) को PM मोदी ने विमुद्रीकरण (नोटबन्दी) की घोषणा की थी
    - ❑ 01 जुलाई 2017 को ही GST विधेयक को भारतीय संसद में पारित किया गया था।
    - ❑ 06 अगस्त 2019 को PM मोदी के कार्यकाल में ही जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन विधेयक 2019 (अनु० 370 में बदलाव) को संसद से पारित किया गया था।
    - ❑ 29 अगस्त 2019 को PM मोदी के कार्यकाल में ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 (तीन तलाक) को राज्यसभा में रखकर भारतीय संसद में पास कराकर भूतलक्षी सिद्धान्त द्वारा दिनांक 19 सितम्बर 2018 से प्रभावी कराया गया है।
    - ❑ 09 नवम्बर 2019 को SC के द्वारा 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के पक्ष में बाबरी मस्जिद ढाँचा, 1994 के मुकदमे में फैसला सुनाया था।
    - ❑ भारत के वह प्रधानमंत्री जो राज्यसभा सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये थे-
      1. इंदिरा गांधी (1966)
      2. एच०डी० देवगोंडा (1996)
      3. इन्द्र कुमार गुजराल (1997)

4. डॉ० मनमोहन सिंह भारत में अबतक कुल क्रमानुसार 17 व व्यक्तिगत रूप से 14 प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन हुए हैं।

केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्

- भारत का प्रधानमंत्री वास्तविकता में भारत का शासनाध्यक्ष होता है।
- जबकि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष (संवैधानिक प्रमुख) होता है।
- अनु0-74 भारत की एक मन्त्रिपरिषद् COM (Council of Ministers) होगी। जो राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देगी। मंत्रिपरिषद् की किसी भी सलाह की जाँच न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी।

  मन्त्रिपरिषद् (Council of Ministers) - (प्रधानमंत्री + कैबिनेट मंत्री + राज्य मंत्री + उपमंत्री)

  मन्त्रिमण्डल (Cabinet of Ministers)- (प्रधानमंत्री + कैबिनेट मंत्री)

➢ **भारत के प्रधानमंत्री** को मिलने वाले वेतनमान का यह आंकड़ा विश्व में शासनाध्यों को मिलने वाले वेतनमान के आंकड़ों में सबसे कम है।

➢ प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति के पश्चात् रुपया 20,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।

➢ सीमित सचिवीय सहायता के साथ, रुपया 6,000 का कार्यालय खर्च भी प्रदान किया जाता है।

2. भारत के राष्ट्रपति को कुछ दशाओं में प्रधानमंत्री चुनने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

i. लोकसभा में जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो।

ii. प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में।

➢ इन दोनों ही दशाओं में राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है।

➢ उस दल को **1 माह** में लोकसभा के अन्दर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा नहीं तो लोकसभा का चुनाव होगा।

➢ इस अधिकार का पहली बार प्रयोग 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार के पतन के बाद PM चौधरी चरण सिंह को चुनने के समय किया।

❒ अनु0 ख 75(क) राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का प्रधानमंत्री चुनता है।

❒ अनु0-75 (ख) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद् का चुनाव करता है।

❒ मन्त्रिपरिषद् में अधिकतम मन्त्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिये?- **91वां CAA 2003** के अनुसार अधिकतम 75 से 83 तक, जो सदन के सदस्यों का 15% होंगे।

❒ **अनु0-78** व्यक्तिगत रूप से मन्त्रिपरिषद् किस के प्रति उत्तरदायी होती है ? - राष्ट्रपति

❒ **अनु0- 75 (3)** सामूहिक रूप से मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

❒ प्रधानमंत्री की मृत्यु / इस्तीफा का मतलब है कि, पूरे मन्त्रिपरिषद् की मृत्यु / इस्तीफा का मतलब है कि पूरे मन्त्रिपरिषद् की मृत्यु/इस्तीफा।

❒ **अनु० 85 (1)** राष्ट्रपति लोकसभा को मन्त्रिपरिषद् की लिखित सूचना पर भंग करता है।

❒ चूकि यह प्रावधान पहले नहीं था, पहले मात्र PM की मौखिक सूचना पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता था।

❒ जिसका लाभ उठाकर **प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी** के द्वारा **तीसरे** राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ष्आंतरिक अशान्तिष का कारण बताकर अचानक से **25 जून 1975 ई0** को कर दी गयी थीं।

प्रधानमंत्री के दायित्व
(Responsibilities of the Prime Minister)

संविधान में कई स्थानों पर प्रधानमंत्री के दायित्वों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चर्चा की गई है। समझने की सुविधा के लिये इन दायित्वों को कुछ वर्गों में बाँटकर देखा जा सकता है-

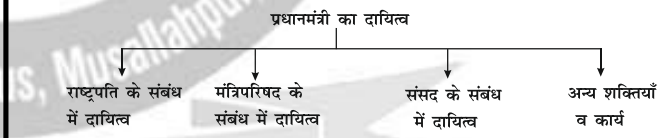

राष्ट्रपति के संबंध में दायित्व
(Obligation in Regard to the President)

अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कुछ कर्त्तव्यों की चर्चा की गई है। जिनका संबंध मुख्यत: प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच समन्वय बनाए रखने से है। इस अनुच्छेद में तीन खंड हैं, जिनमें निम्नलिखित तीन दायित्वों का वर्णन किया गया है-

1. प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह केंद्र सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों की जानकारी राष्ट्रपति को प्रेषित करे [अनुच्छेद 78 (क)]।

2. यदि राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के प्रशासन या किसी

प्रस्तावित कानून से संबंधित जानकारी मांगी जाती है तो प्रधनमंत्री का कर्त्तव्य होगा कि उसे ऐसी जानकारी उपलब्ध कराए [अनुच्छेद 78 (ख)]।

3. राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार दिया गया है। इसके अनुसार यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर प्रधानमंत्री का कर्त्तव्य होगा कि वह उक्त निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिये रखे [अनुच्छेद 78(ग)]।

इन तीनों प्रावधानों का मूल उद्देश्य कार्यपालिका के विभिन्न स्तरों- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय स्थापित करना है जो कि उचित है।

- वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों, जैसे- भारत के महान्यायवादी,. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है

मंत्रिपरिषद के संबंध में दायित्व
(Obligation in Regard to the Council of Ministers)

- केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री निम्नलिखित कार्य करता है-
- वह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि किन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना है।
- वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है और आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन करता है।
- वह सभी मंत्रियों को प्रमुख नीतियों से संबंधित मामलों में निर्देश देता है और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है।
- किसी मंत्री को इस्तीफा देने या राष्ट्रपति को मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह देता है।

मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है एवं मंत्रिपरिषद द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करता है।

संसद के संबंध में दायित्व
(Obligation in Regard to the Parliament)

प्रधानमंत्री संसद के प्राय: निचले सदन अर्थात् लोकसभा का नेता होता है। संसद के संबंध में वह निम्नलिखित कार्य करता है-

- वह राष्ट्रपति को संसद के विभिन्न सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने की सलाह देता है।
- वह लोकसभा का विघटन करने से संबंधित निर्णय भी कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति को उसकी यह सलाह माननी होती है।
- वह स्वयं या किसी मंत्री को संसदीय कार्य का प्रभार देकर सुनिश्चित करता है कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रशासनिक कार्यों में कोई समस्या उत्पन्न न हो।
- वह संसद के समक्ष सरकार की नीतियाँ / योजनाएँ प्रस्तावित करता है।

अन्य शक्तियाँ व कार्य
(Some other Powers and Functions)

उपरोक्त भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अन्य विभिन्न भूमिकाएँ भी हैं-

- प्रधानमंत्री नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद तथा राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है।
- प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है।
- प्रधानमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है।
- वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से देश का नेता होने के नाते मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Central Council of Ministers)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिये मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। सभी मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। यह मंत्रिमंडल से बड़ा समूह है। मंत्रिमंडल में केवल प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री ।

मंत्रियों की नियुक्ति (Appointment of Ministers)

अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अर्थात् मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है वह केवल प्रधानमंत्री द्वारा सिफारिश किये गए व्यक्तियों को ही मंत्री पद के लिये नियुक्त कर सकता है।

आमतौर पर लोकसभा या राज्यसभा सदस्य ही मंत्रिपरिषद के सदस्य बनते हैं। यद्यपि संविधान में यह प्रावधान भी है कि एक ऐसा व्यक्ति भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है जो संसद की सदस्यता नहीं रखता हो। किंतु, ऐसे व्यक्ति को 6 महीनों के अंतर्गत संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है।

ध्यातव्य है कि एक सदन के सदस्य को दूसरे सदन की कार्यवाही में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार तो दिया गया है किंतु मताधिकार नहीं है।

मंत्रियों की श्रेणियाँ

कैबिनेट मंत्री

कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था, संविधान में मंत्रिपरिषद की ही चर्चा की गई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से अब इस शब्द को अनुच्छेद 352 में शामिल कर लिया गया है तथा आपातकाल लागू करने संबंधी सिफारिश पर मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने की बाध्यता आरोपित की गई। कैबिनेट में मंत्रिपरिषद के सबसे महत्त्वपूर्ण मंत्री होते हैं। इन्हें मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख अंग होता है। कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग या मंत्रालय का प्रमुख होता है।

राज्य मंत्री

राज्य मंत्री तकनीकी तौर पर कैबिनेट मंत्री से कम महत्त्वपूर्ण नहीं होते क्योंकि वेतन और भत्तों इत्यादि की दृष्टि से दोनों में कोई द्य महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं होता। लेकिन राज्य मंत्री व्यावहारिक तौर पर कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में कम महत्त्वपूर्ण होते हैं। इन्हें कैबिनेट अर्थात् मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है।

स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री

स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री इस अर्थ में कैबिनेट मंत्रियों के समकक्ष होते हैं कि वे अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। इन मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक में तब बुलाया जाता है जब उनके विभाग से संबंधित कोई मुद्दा बैठक की विषय-सूची में शामिल हो।

ऐसे मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है

ये राज्यमंत्री प्राय: किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। ऐसे मंत्रियों के कार्यों का आवंटन संबद्ध कैबिनेट मंत्रियों द्वारा किया जाता है।

उप मंत्री

उप मंत्री वे मंत्री हैं जो अपने विभाग या मंत्रालय के स्वतंत्र प्रमुख नहीं होते। प्राय : नए राजनीतिज्ञों को मंत्री संबंधी दायित्वों का आरंभिक प्रशिक्षण देने के लिये उप मंत्री बनाया जाता है। उप मंत्री या तो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन या किसी स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है।

मंत्री पद की अर्हताएँ
(Eligibilities for the Office of Minister)

संविधान में मंत्रियों की अर्हताओं के प्रावधान सीमित हैं। एक प्रावधान अनुच्छेद 75 (5) में है जिसमें कहा गया है कि ष्कोई मंत्री, जो निरंतर छ: मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा ''
इस कथन के सामान्यत: दो अर्थ निकलते हैं-

- मंत्री बनने के लिये जरूरी है कि व्यक्ति संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य हो। इसमें निहित है कि जो अर्हताएँ लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिये हैं, वही मंत्री बनने के लिये भी हैं।
- यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य न हो तो भी वह अधिकतम छह महीने के लिये मंत्री रह सकता है। इतना ही नहीं, वह प्रधानमंत्री भी बन सकता है।

मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल
(Council of Ministers v/s Cabinet)

'मंत्रिपरिषद' तथा 'मंत्रिमंडल' ये दोनों शब्द अक्सर एक-दूसरे के लिये प्रयोग किये जाते हैं परंतु इनमें कुछ निश्चित अंतर है। ये एक-दूसरे से अपनी संरचना, कार्यों व भूमिकाओं के कारण भिन्न हैं-

मंत्रिपरिषद-

- ❒ यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं।
- ❒ इसमें मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ- कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री होते हैं।
- ❒ यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है।
- ❒ इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है।
- ❒ इसे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, परंतु कागजों में।
- ❒ इनके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है।

मंत्रिमंडल-

- ❒ यह एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं।
- ❒ इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अत: यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है।
- ❒ यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यत: हफ्ते में एक बार बैठक करता है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करता है।
- ❒ यह वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके लिये कार्य करता है।
- ❒ यह मंत्रिपरिषद से राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं।

संसदीय व्यवस्था (विशेषतायें)

1. दोहरी कार्यकारिणी।
2. बहुमत के दल का शासन।
3. सामूहिक उत्तरदायित्व।
4. राजनीतिक एकरूपता।
5. दोहरी सदस्यता।
6. प्रधानमंत्री का नेतृत्व
7. निचले सदन का विघटन होना।
8. शक्तियों का समिश्रण

गुण

1. विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य।
2. उत्तरदायी सरकार।
3. निरंकुशता पर रोक।
4. व्यापक प्रतिनिधित्व

दोष

1. अस्थायी सरकार।
2. नीतियों की निश्चितता नहीं।
3. शक्तियों के विभाजन के विरूद्ध।
4. अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन

राष्ट्रपति शासन व्यवस्था (विशेषतायें)

1. एकल कार्यकारिणी।
2. राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक् रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन।
3. उत्तरदायित्व का अभाव।
4. राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती।
5. एकल सदस्यता।
6. राष्ट्रपति का नियंत्रण।
7. निचला सदन विघटित न होना।
8. शक्तियों का विभेद।

दोष

1. विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव।
2. गैर-उत्तरदायी सरकार।
3. गैर-उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना
4. सीमित प्रतिनिधित्व।

गुण

1. स्थायी सरकार।
2. नीतियों में निष्ठिचतता।
3. शक्तियों के विभाजन पर आधारित।
4. विशेषज्ञों द्वारा सरकार।

MCQ

1. भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है?
   (a) लोकतंत्रात्मक
   (b) अधयक्षात्मक
   (c) संसदात्मक
   (d) अर्द्ध-लोकतंत्रात्मक

2. संसदात्मक शासन व्यवस्था में-
   (a) न्यायापालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।
   (b) कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है।
   (c) कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है।
   (d) विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।

3. संसदीय व्यवस्थ वाली सरकार वह होती है, जिसमें-
   (a) संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है।
   (b) सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है।
   (c) सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है।
   (d) सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती।

4. भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में-
   (a) वास्तविक और नाममात्र (Nominal) दोनों प्रकार की कार्यपालिका (Executive) है।
   (b) सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) की प्रणाली है।

(c) द्विसदनीय विधायिका (Legislatre) है।
(d) न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) की प्रणाली है।

5. भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि-
(a) लोक सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है।
(b) संसद, संविधाान का संशोधान कर सकती है।
(c) राज्य सभा को भंग नहीं किया जा सकता।
(d) मंत्रिपरिषद, लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है।

6. संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि-
(a) कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों रूप से कार्य करते हैं।
(b) यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है।
(c) कार्यपालिका, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है।
(d) सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता।

7. सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा वक्तव्य सही है?
(a) विधायिका, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है।
(b) विधायिका, कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है।
(c) विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं।
(d) राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रति जवाबदहे है।
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

8. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?
(a) भारतीय संविधान अधयक्षात्मक है।
(b) भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है।
(c) भारत एक कुलीन तंत्र है।
(d) भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है।

9. भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है?
(a) जनता (b) संविधान
(c) संसद (d) राष्ट्रपति

10. भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं-
1. यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है।
2. इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है।
3. सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है।
4. यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
(a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) 2, 3 और 4 (d) सभी चारों

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है।
2. भारत एक प्रभुसत्तासंपन्न राज्य है।
3. भारत में लोकतांत्रिक समाज है।
4. भारत एक कल्याणकारी राज्य है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
(a) 1 और 2 केवल
(b) 1, 2 और 3 केवल
(c) 2, 3 और 4 केवल
(d) 1, 2, 3 और 4

KHAN GLOBAL STUDIES
Cold Storage Campus, Musallahpur, Patna-6
KHAN SIR